

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/ 22321

दिनांक: 24-10-19

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम भरतपुर में पैरवी की स्थायी व्यवस्था हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक के लिए पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/ परिषद/पालिका का नाम
1.	श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री श्याम सिंह गुर्जर	नगर निगम भरतपुर
2.	श्री श्यामनाथ मित्तल पुत्र श्री नन्मूल मित्तल	नगर निगम भरतपुर

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर निगम भरतपुर से देय होगा।

(डॉ० प्रवीण कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/ 22322-30
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 24-10-19

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग भरतपुर।
05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर।
06. श्री एडवोकेट मार्फत, नगर निगम, भरतपुर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी